TEN RUPEES

FIVE RUPEES

C-5001SL

61

न्यायालय: माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

श्री दीपक श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा आज दि० 5/3/02 को प्रस्तुत

सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

5 MAR 2002

Deepak Shrivastava Advocate 5-3-02

क्रमांक /2002 पुनरीक्षण R-510-II/2002

ज्ञानचन्द्र सोनी पुत्र नत्थूलाल सोनी,
निवासी- कटरा बाजार मैहर तहसील मैहर
जिला सतना म॰प्र॰

... आवेदक

बनाम

1- संगमलाल पुत्र रामगुलाम चौरसिया
2- अशोक कुमार पुत्र रामगुलाम चौरसिया
3- राकेश कुमार पुत्र रामगुलाम चौरसिया
तीनो निवासी- पुरानी बस्ती मैहर जिला सतना म॰प्र॰

4- बृजकिशोर पुत्र नत्थूलाल सोनी,
निवासी- कटरा बाजार मैहर तहसील मैहर
जिला सतना म॰प्र॰

... अनावेदक गण

No 392

SANTOSH KUMAR NIGAM NOTARY GWALIOR (M.P.) INDIA

S. K. NIGAM NOTARY GWALIOR - 3 (M.P.)

4 MAR 2002

निगरानी (पुनरीक्षण) आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰ भू॰रा॰संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30॰6॰2001 जिसे अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म॰प्र॰ने अपने यहाँ के प्रकरण क्रमांक 591/88-89 अपील मे पारित किया ।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1॰ यहकि, अधीनस्थ अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 510–दो/2002 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–06–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 591/1988–89/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.06.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम मैहर की आ0नं0 1282/1 क रकबा 16 विस्वा लगान 0.7 पैसा को भूमि स्वामी बृजकिशोर सोनी पिता नत्थूलाल सोनी, निवासी मैहर से रजिस्ट्री द्वारा रुपये 22,000/– में संगमलाल, अशोक कुमार, राकेश कुमार चौरसिया ने क्रय किया जाना बताकर अपने नाम नामांतरण बावत धारा 109/110 के तहत आवेदन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मैहर, जिला–सतना के यहॉ प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ–6/1986–87 में पारित आदेश दिनांक 19.06.89 के अनुसार अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । उक्त आदेश दिनांक 19.06.89 के विरूद्ध श्री ज्ञानचन्द्र सोनी एवं श्री संतोष सोनी पिता नत्थूलाल सोनी द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2001 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19.06.89 यथावत रखा गया। अपील अमान्य की गई ।	

P.T.O.

इस आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि तहसील न्यायालय मैहर में नामांतरण हेतु संहिता की धारा 109/110 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । इस्ताहार प्रकाशन कर आपत्तियां बुलाई गई । समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत की गई । आपत्ति आवेदन स्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 12.5.87 को नामांतरण अस्वीकार किया गया ।

4– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि अनुरूप है । इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । निगरानी अमान्य की जावे ।

5/ मैंने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों के तर्कों पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का बारिकी से अध्ययन किया । राजस्व न्यायालय को स्वत्व का निराकरण करने का अधिकार कतई नहीं है । नायब तहसीलदार स्वत्व का निराकरण नहीं कर सकते है । मूल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी क्र0 1282/1क का पूरा रकबा 16 विस्बा है । जिसका भूमि स्वामी गंगाप्रसाद श्रीवास्तव था । गंगाप्रसाद श्रीवास्तव से दिनांक 11.07.84 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये 8–8 बिस्वा सुन्दर लाल पटेल एवं बृजकिशोर सोनी ने खरीदा । बाद में बृजकिशोर सोनी ने इस भूमि को संगमलाल के पिता रामगुलाम चौरसिया को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दिया । वादग्रस्त भूमि पर पूर्ण स्वत्व था, वह इस भूमि का अकेला भूमि स्वामी था । विचारणीय बिन्दु यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया है । रेस्पो0 4

R 510-II/02 सतना

द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड दस्तावेज अनावेदक क्रमांक 1, 2, व 3 के पिता के पक्ष में किया गया है और अनावेदक क्र0 1, 2, व 3 के पिता के पक्ष में नामांतरण करने पर सहमति दी है, जिसके आधार पर नामांतरण किया जाना चाहिये था । यदि किसी पक्षकार द्वारा स्वत्व संबंधी आपत्ति की जाती है तो यह निर्विवाद है कि स्वत्व के निराकरण की शक्तियां सिविल न्यायालय में निहित है। राजस्व न्यायालय स्वत्व निराकरण नहीं कर सकता । इस प्रकार अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30.06.2001 विधि अनुकूल पाये जाने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी अस्वीकार की जाती है । उभयपक्ष सूचित हो । प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(के0सी0 जैन)
सदस्य

P.T.O.